

२२/०५/२५

पत्रावली पेश हुई। बडील वादी उपरी  
प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने में  
पर्याप्त अवसर दिए बावजूद पेश नहीं  
किये, अतः वादी का वाद Non-Compliance  
(अप्यासना) में धारिज किया जाता है।  
पत्रावली जिसके शुमार होकर वाखिन  
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चाहटन

